तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3642/2004/नागौर दीपसिंह बनाम फतेहसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री एस.पी.सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 26.10.2020

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–08–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारे के मूल वाद के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तगण की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 09–09–2003 से वादीगण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 06–08–2004 से आंशिक स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी का हस्तान्तरण नहीं करने से पाबन्द कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3642/2004/नागौर दीपसिंह बनाम फतेहसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9–9–2003 एवं अपीलीय न्यायालय का अंशतः निर्णय दिनांक 6–8–2004 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 786 एवं 290 वादीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है, जिसमें वादीगण का 5/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी का 1/6 हिस्से के संयुक्त खातेदार रहे है। हाल बन्दोबस्त के हुए परिवर्तन इन्द्राज को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था, उनका प्रथम दृष्टया यह साबित करना था कि वादीगण प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी से वापिस हटाया जाकर सम्पूर्ण भूमि का खातेदार प्रतिवादीगण को दर्ज कर दिया। प्रथम दृष्टया ऐसा कोई आदेश दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रतिवादी पक्ष का प्रथम दृष्टया प्रकरण सिद्ध होता हो। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी करते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने यद्यपि पूर्व के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण को खातेदार होना मानते हुए प्रतिवादी को भूमि हस्तान्तरण नहीं करने से तो रोक दिया किन्तु क्रेता खेतसिंह, प्रेमसिंह व खेमाराम के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर अपने अधिकारिता को काम में नहीं लिया। उनका कथन है कि क्रेतागण अजनबी व्यक्ति है, जिन्हें विवादित आराजी का विभाजन कराये बिना विवादित संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रवेश करने का अधिकार नहीं रहता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3642/2004/नागौर दीपसिंह बनाम फतेहसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उनका कथन है कि क्रेतागण खसरा नम्बर 1189 में जबरन प्रवेश करने पर उतारू है एवं अप्रार्थीगण व क्रेतागण दोनों ही विवादित आराजी पर निर्माण कार्य करने पर उतारू हो रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपील को अंशत स्वीकार किये जाने के आदेश को यथावत रखते हुए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे एवं काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे एवं क्रेतागण को पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे ना ही निर्माण कार्य करें। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालयों न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश को विधिसम्मत् होना बताया। उनका कथन है कि विवादित आराजी के प्रार्थीगण राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार दर्ज नहीं है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण ने पूर्व के राजस्व अभिलेख के आधार पर विवादित आराजी बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसका निस्तारण उभयपक्ष की साक्ष्य उपरान्त ही होगा। उनका कथन है कि राजस्व अभिलेख में उनके पक्षकार खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिनके द्वारा कुछ आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अप्रार्थी संख्या–42 से 44 को विक्रय की, जिसके आधार पर वे राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है, ना ही वे विवादित आराजी पर काबिज है। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3642/2004/नागौर दीपसिंह बनाम फतेहसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नहीं है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण ने विवादित आराजी बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारे के मूल वाद के साथ विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 1189 एवं 1225 की आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज स्वर्गीय जालमसिंह की खातेदारी की भूमि थी, जिसमें वादीगण का भी हक व हिस्सा निहित है किन्तु हाल राजस्व रिकार्ड में विवादित आरजी के साबिक इन्द्राज में परिवर्तन करते हुए वादीगण का नाम बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा हटा दिया गया तथा प्रतिवादीगण के नाम सम्पूर्ण आराजी दर्ज कर दी। उक्त साबिक आराजी के हाल खसरा नम्बर 786 एवं 290 कायम किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू को प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होना मानते हुए निर्णय दिनांक 09-09-2003 से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थीगण को विवादित आराजी का सहखातेदार नहीं होना मानते हुए एवं विवादित आराजी पर कब्जा किस पक्षकार का है, प्रमाणित नहीं होना मानते हुए मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजी को संरक्षित रखने के उद्धेश्य से बैचान पर ताफैसला रोक लगाई गयी है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/3642/2004/नागौर दीपसिंह बनाम फतेहसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विश्लेषण करते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को नियमानुसार भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	